माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर (म.प्र.)

R - 1864 - I/2011

1. फतेहसिंह पिता हुन्दराजजी,
   आयु 68 वर्ष, धंधा व्यापार,
   निवासी– न्यू रोड़, रतलाम

2. राधू पिता धन्नाजी भील
   आयु 65 वर्ष, धंधा कृषि,

3. प्रभु पिता धन्नाजी भील,
   आयु वयस्क, धंधा कृषि,

4. हरीराम पिता धन्नाजी भील,
   आयु वयस्क, धंधा कृषि,
   निवासीयान–ग्राम खेतलपुर तहसील व जिला रतलाम............ प्रार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा–
श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी बनाराजगी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कं. 117/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2011 जिसके द्वारा अपर कलेक्टर रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत दी गई भूमि विकय की अनुमति संबंधी आदेश दिनांक 10.12.2010 स्वमेव निगरानी का प्रकरण स्वीकार कर निरस्त किया गया है।

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता //

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :–

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

(137) (141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1864-एक/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 08-03-2013 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	